कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 921 /11–सी–FP/UP/Canal/44512/2020, लखनऊ, दिनांकः अक्टूबर 19 ,2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव (पूर्वी),
गोण्डा।

विषयः– जनपद–महराजगंज के सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग, महाराज के अंतर्गत कैम्पियरगंज शाखा नहर निर्माण (किमी0 51.00 से 62.106) हेतु ग्राम–कोल्हुआ उर्फ सिंघोरवा में 0.2 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा ग्राम–लालपुर कल्यानपुर में प्रभावित होने वाली 0.2 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 0.4 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 40 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक–789/35–1, दिनांक 15.10.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन व हार्डकापी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से वर्तमान बाजार दर पर मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) जमा करने की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न नहीं है।
3. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक–वी0आई0पी0–23/14–2–2019–190 जी/2018, दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी/वन बंदोबस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
4. प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर युक्त तथा ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न नहीं है। अतः ऑनलाइन भाग–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सूची जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, संलग्न कर तदानुसार ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
5. प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में मुख्य वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रयोक्ता एजेंसी का वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
6. प्रभावित आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि का 02 Geo Referenced Digital Map संलग्न किया गया है। अतः 01 अतिरिक्त Geo Referenced Digital Map प्रस्ताव से पृथक करें।
7. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–41 पर संलग्न प्रमाण पत्र में "Proposed project is not crossing to wildlife Sanctuary protected forest it passage within 10km Eco-Sensitive Zone boundary, so Bio-Diversity report not applicable in this project." का उल्लेख है, जबकि हार्डकापी भाग–2 के क्रमांक–9 में प्रस्तावित वनभूमि के प्रभावित क्षेत्र वन्यजीव विहार की सीमा के अंदर है, का उल्लेख किया गया है, जोकि विरोधाभाष है। अतः इस अन्तर को स्पष्ट करते हुये संशोधित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
8. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iii) में अपलोड किया गया क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की SoI टोपोशीट एवं क्रमांक–13(iv) में अपलोड किया गया क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का Geo Referenced Digital Map प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित SoI टोपोशीट एवं Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(iii) व क्रमांक–13(iv) में अपलोड करें।
9. प्रभावित आरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दी जाने वाली समतुल्य गैर वनभूमि का 02 SoI टोपोशीट संलग्न किया गया है। अतः 01 अतिरिक्त SoI टोपोशीट प्रस्ताव से पृथक करें।
10. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है। अतः संशोधित उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर यथास्थान ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।
11. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।
12. प्रस्ताव में नहर का स्टैण्डर्ड क्रास सेक्शन संलग्न है किन्तु उस पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।
13. गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है किन्तु प्रस्तावित स्थल चिन्हित नहीं किया गया है।
14. ऑनलाइन पार्ट–1 व हार्डकापी के भाग–1 में परियोजना की लागत भिन्न–भिन्न अंकित है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान परियोजना की लागत अंकित करें।
15. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–5 एवं क्रमांक–7 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।
16. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि पूर्ण रूप से अंकित नहीं है।
17. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है तथा अपलोड किये गये दोनों प्रमाण पत्र गलत है तथा Remark कॉलम में उनके नाम भी अंकित नहीं किया गया है। अतः इसे डिलिट कर सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।

Acy-894

18. ऑनलाइन पार्ट–2 व हार्डकापी के भाग–2 के District Profile में जिले का वन क्षेत्रफल व अन्य विवरण भिन्न–भिन्न व त्रुटिपूर्ण फीड किया गया है। अतः एक समान जिले का वन क्षेत्रफल व अन्य विवरण ऑनलाइन पार्ट–2 व हार्डकापी के भाग–2 में फीड करें।
19. प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–15 पर संलग्न प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति में नहर का किमी0 सं0 गलत अंकित किया गया है। अतः सही किमी0 सं0 अंकित कर ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 में अपलोड करें।
20. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के स्थान पर गलत उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपलोड है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे एन0आई0सी0, नई दिल्ली से डिलीट कराकर संशोधित संस्तुति पत्र अपलोड करें।

अतः कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात् पूर्ण संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 921 / 11–सी–FP/UP/Canal/44512/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, सोहगीबरवा वन्यजीव प्रभाग, महराजगंज।
2. अधिशासी अभियन्ता, राप्ती नहर निर्माण खण्ड, तुलसीपुर, बलरामपुर।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

O/C

Acy-895